भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2727

14 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों का वर्गीकरण

2727. श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे, हाशिये पर रहने वाले और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले किसानों को बीपीएल और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) किसानों के तौर पर वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कृषि भूमि जोत का औसत आकार छोटा और बहुत छोटा है और यह किसानों के लिए लाभदायक भी नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त जोत की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) छोटे और हाशिये पर रह रहे किसानों को ऐसी तकनीक और सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा छोटी भूमि जोत को अर्थक्षम बनाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): कृषि संगणना में, परिचालन जोतों को तीन सामाजिक समूहों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य और नीचे दिए गए अनुसार पांच आकार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क्रमांक	वर्ग	आकार स्तरीय
1.	सीमांत	1.00 हेक्टेयर से कम
2.	छोटा	1.00 - 2.00 हेक्टेयर
3.	अर्द्ध मध्यम	2.00 - 4.00 हेक्टेयर
4.	मध्यम	4.00 - 10.00 हेक्टेयर
5.	विशाल	10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक

(ग): कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, देश में भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था। लघु और सीमांत जोत की उत्पादकता में सुधार के लिए, सरकार आधुनिक तकनीकों और पद्धतियों जैसे बहु फसल, अंतरफसल और समेकित कृषि प्रणालियों को अपनाने का बढ़ावा दे रही है। राज्यों के लिए विकसित समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडल को संबंधित राज्य सरकारों की पद्धतियों के पैकेज में शामिल किया गया है। इन्हें किसान भागीदारी बढ़ाने और समेकित कृषि प्रणालियों के प्रदर्शन के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भी कृषि जोतों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

(घ) और (ड.): छोटे और सीमांत किसानों के लाभ को बढ़ाने और उनकी जोत को अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना(पीएमकेएसवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना, राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडी), 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के संवर्धन की योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम) का कार्यान्वयन, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) आदि जैसी कई योजनाएं लागू कर रही है।

****